राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 49/2020

सत्यनारायण पुत्र श्री रामजीलाल आयु 75 वर्ष जाति ब्रामण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

1. रामसिंह पुत्र बंशी आयु 35 वर्ष जाति कुम्हार निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सहीदा पत्नी रोशन उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. शिवप्रसाद पुत्र श्री रामजीलाल आयु 68 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक 18–08–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2069 लगायत 2072 खाता संख्या नया 550 खसरा नंबर 339 रकबा 0.07 है., ख.नं. 341 रकबा 1.17 है., ख.नं. 348 रकबा 0.80 है., ख. नं. 1100 रकबा 0.95 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 है. प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 का 1/2 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 रिकार्डेड खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। अप्रार्थी सं. 2 ने न्यायालय श्रीमान जी में मु.नं. 70/2012 बाबत खाता विभाजन पेश किया जिसका अंतिम निर्णय दिनांक 10.12.2012 को हुआ अप्रार्थी सं. 2 के इस दावे के विचाराधीन रहते हुए वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 0.01 है. भूमि अपने कुए एवं अपने तिबारा व तिबारा के पास की भूमि को रखते हुए शेष भूमि 1.475 है. अप्रार्थी सं. 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 13.08.2012 को बेचान कर कब्जा करा दिया। अप्रार्थी सं. 2 के 1/2 हिस्से का दिनांक 10.12.2012 को अंतिम रूप से निस्तारण करते समय प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि 0.01 है. केवल मात्र गत खसरा नंबर 341 के विभाजन में नये खसरा नंबर 2656/341 रकबा 0.01 है. [illegible] अप्रार्थी सं. 3 का खाता अलहेदा कायम कर दिया जबकि खसरा नंबर 341 में केवल [illegible] प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 का कुआ ही है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 का [illegible] की भूमि ख.नं. 1100 में स्थित है जिसमें से प्रार्थी को भूमि विभाजन [illegible] करते हुए वादी व अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी में खसरा नंबर 1100 में से भूमि नहीं दी गई है जबकि प्रार्थी [illegible]ांक 13.08.2012 को कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से तिबारा व कुए की भूमि

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.01 है. अपने पास रखे जाने का उल्लेख कर रखा है जो तिबारा खसरा नंबर 1100 में स्थित है एवं कुआ खसरा नंबर 341 में स्थित है जिससे अप्रार्थी सं. 1 पाबन्द है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 का तिबारा व उसकी भूमि जो खसरा नंबर 1100 में 0.46 है. भूमि खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जिसके कारण अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई। अप्रार्थी सं. 1 उक्त गलत खातेदारी दर्ज होने के आधार पर प्रार्थी व प्रतिवादी सं. 3 के तिबारा व तिबारा में भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 13.8.2012 को कराये गये विक्रय पत्र में तिबारा व कुए का अपने पास रखने का 0.01 है. भूमि के सम्बंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। प्रार्थी/वादी की वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को गत 10–15 दिनों से खसरा नंबर 1100 में स्थित वादी के तिबारा व तिबारा की भूमि पर कब्जा करने एवं उसे बेचान करने को धमकी तथा प्रार्थी/वादी के तिबारा व तिबारा की भूमि को उजाड़ने की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी की हकतलफी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे दौराने वाद, वाद वर्णित खसरा नंबर 1100 की खातेदारी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 का तिबारा व तिबारा की भूमि पर कब्जा ना करें ना अन्य किसी से करावे तथा किसी भी व्यक्ति कों बेचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण ना करें, किसी भी भू–भाग पर कोई दखलंदाजी ना करें। प्रार्थी को अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने से ना रोके एवं प्रार्थी को किसी भी तरह से हैरान परेशान ना करें। ऐसा ना व स्वयं करें व ना अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज तथ्यों का अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढ़ंत व झूठा लिखा हुआ है। प्रार्थी की भूमि का अलग खसरा नंबर व रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का ना तो कोई प्रथम दृष्टया मामला ही है और ना ही प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थी सं. 2 से 4 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2012 के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि गत ख.नं. 339, 341, 348, 1100 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 है. में सत्यनारायण शिवप्रसाद पि0 रामजीलाल जाति ब्राहमण हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था, उक्त विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी सं. 1 रामसिंह को अपने 1/2 हिस्से अर्थात् 1.485 है. भूमि में से तिबारा व कुआ का रकबा छोड़कर शेष 1.475 है. भूमि का बेचान किया था। उक्त बेचान के बाद शेष रही 0.01 है. भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. [illegible] का एक कुआ है तथा एक तिबारा है। इस प्रकार उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि में 1.475 है. के बाद शेष बची [illegible] तिबारा का रकबा 0.01 है. छोड़कर ही 1.475 है. भूमि का [illegible] व अप्रार्थी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार, खेतड़ी से जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53/2/111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहमति से [illegible]तेदारी भूमि का विभाजन करवा लिया है। खाता विभाजन के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 341/3 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

0.01 है. तथा अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 339, 341/2, 1100/3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 है. आयी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि 341/3 रकबा 0.01 है. तिबारा व तिबारा की भूमि तक ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम जसरापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1100 (341/3) में निर्मित तिबारा व तिबारा की भूमि 0.01 है. की हद तक प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे तथा शेष रकबा 0.01 है. तिबारा व तिबारा की भूमि को छोड़कर अप्रार्थी सं. 1 अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए स्वतंत्र है एवं उसका अन्य किसी को हस्तान्तरण कर सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 18–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner